

2024/710

फर्द अहकाम
(नियम 15)

निर्णय
04.11.2024

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
डुंगर बनाम स्टेट
वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 222 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
28.05.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 03.06.2024 को पेश हो।	
03.06.2024	<p>वकील वादी द्वारा पत्रावली/PU माह. 2. अहकाम</p> <p>पत्रावली के पत्रावली प्रकृतिये म.</p> <p>गारत 03.06.2024 दिनांक 03.06.2024</p> <p>का पेश हो - मुह.</p>	
31.10.2024	<p>वकील वादी द्वारा पत्रावली/PU माह. 2. अहकाम</p> <p>पत्रावली के पत्रावली प्रकृतिये म.</p> <p>गारत 03.06.2024 दिनांक 03.10.2024</p> <p>का पेश हो - मुह.</p>	
10.10.2024	<p>वकील वादी द्वारा पत्रावली/PU माह. 2. अहकाम</p> <p>पत्रावली के पत्रावली प्रकृतिये म.</p> <p>गारत 03.06.2024 दिनांक 10.10.2024</p> <p>का पेश हो - मुह.</p>	
04.11.2024	<p>वकील वादी द्वारा पत्रावली/PU माह. 2. अहकाम</p> <p>पत्रावली के पत्रावली प्रकृतिये म.</p> <p>गारत 03.06.2024 दिनांक 04.11.2024</p> <p>का पेश हो - मुह.</p> <p>वकील वादी द्वारा पत्रावली/PU माह. 2. अहकाम। स्टेट जजक प्राप्ति उरुण कडस मुनी गरी पत्रावली का अचलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट काटि के आधार पर वाद की डिस्टी डिना जाहाई। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाइल किया जाके पत्रावली नम्बर से काम की जाकर वाद तदीक तक्रमील जावला दाखिल दकलर हो।</p>	